



जनपद गाजियाबाद प्रेस नोट दिनांक-27.11.2021

थाना साहिबाबाद पुलिस द्वारा 03 अभि0 गिरफ्तार, कब्जे से 355 ग्राम नशीला पाउडर एल्प्रोजोलम अवैध बरामद ।

दिनांक 27.11.2021

कार्यवाही:- प्रभारी निरीक्षक साहिबाबाद श्री नागेन्द्र चौबे की टीम द्वारा दिनांक 27.11.21को समय 02:30 बजे आनन्द इण्डस्ट्रियल एरिया मे देशी शराब के ठेके के पास थाना साहिबाबाद गाजियाबाद से अभि0 गण 1. प्रकाश पुत्र जितेन्द्र निवासी यादव होटल वाली गली दीपक चौधरी के मकान मे किराये पर राम नगर अर्थला थाना साहिबाबाद गा0बाद मूल पता गोपाल गंज थाना महाराज गंज जिला छपरा बिहार उम्र 20 वर्ष 2. रविन्द्र पुत्र मुन्ना लाला निवासी राजू का किराये का मकान पाल रोड अर्थला थाना साहिबाबाद गा0बाद व मूल पता ग्राम गुदनी गौशाला थाना विलसी जिला वदायूँ उम्र 22 वर्ष 3. अजय पुत्र राज सिंह उर्फ इन्द्रपाल निवासी धूम नेता का किराये का मकान पाल रोड अर्थला थाना साहिबाबाद गा0बाद व मूल पता ग्राम मखमूलपुर थाना काधला जिला सामली उम्र 25 वर्ष को मय 355 ग्राम नशीला एल्प्रोजोलम पाउडर अवैध सहित गिरफ्तार किया गया है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. प्रकाश पुत्र जितेन्द्र निवासी यादव होटल वाली गली दीपक चौधरी के मकान मे किराये पर राम नगर अर्थला थाना साहिबाबाद गा0बाद मूल पता गोपाल गंज थाना महाराज गंज जिला छपरा बिहार उम्र 20 वर्ष
2. रविन्द्र पुत्र मुन्ना लाला निवासी राजू का किराये का मकान पाल रोड अर्थला थाना साहिबाबाद गा0बाद व मूल पता ग्राम गुदनी गौशाला थाना विलसी जिला वदायूँ उम्र 22 वर्ष
3. अजय पुत्र राज सिंह उर्फ इन्द्रपाल निवासी धूम नेता का किराये का मकान पाल रोड अर्थला थाना साहिबाबाद गा0बाद व मूल पता ग्राम मखमूलपुर थाना काधला जिला सामली उम्र 25 वर्ष



थाना कविनगर पुलिस द्वारा अवैध अरलाह रखने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया कब्जे से 01 तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस 0.315 बोर नाजायज बरामद दिनांक 27.11.21 को समय 01.30 बजे रामलीला ग्राउन्ड गेट न0 2 थाना कविनगर क्षेत्र से चैकिंग के दौरान अभियुक्त रिन्कू पुत्र नन्दकिशोर नि0 म0न0 डी-220 चिरंजीव विहार थाना कविनगर गाजियाबाद को थाना कविनगर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 1 तमंचा 0.315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 0.315 बोर नाजायज बरामद हुआ अभियुक्त के विरुद्ध थाना कविनगर पर मु0अ0सं0 1832/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त -

रिन्कू पुत्र नन्दकिशोर नि0 म0न0 डी-220 चिरंजीव विहार थाना कविनगर गाजियाबाद उम्र 20 वर्ष ।

बरामदगी का विवरण -

01 तमंचा 0.315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 0.315 बोर नाजायज ।

अभियुक्त का आपराधित इतिहास-

- 1- मु1832 0अ0सं0/3 धारा 21/आर्म्स एक्ट 25थाना कविनगर गाजियाबाद ।



चोरी के 02 शातिर अभियुक्त मय चोरी के 13 कुन्तल सरिया सहित गिरफ्तार

दिनांक:- 27/11/2021

कार्यवाही- श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद-गाजियाबाद द्वारा अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के दौरान श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के कुशल निर्देशन तथा सहायक पुलिस अधीक्षक / क्षेत्राधिकारी सदर के पर्यवेक्षण में दि० 27.11.2021 को प्रभारी निरीक्षक योगेन्द्र सिंह थाना मसूरी गा०बाद व उनकी टीम को उस समय सफलता मिली जब चोरी के अभियोग को अनावरित करते हुए अभि०गण (1) आशु पुत्र भग्गू निवासी बिलवार थाना गुलगंज जिला छतरपुर (मध्य प्रदेश) उम्र 25 वर्ष (2) साजिद उर्फ भूरा पुत्र मंजूर निवासी ग्राम टीकरी थाना जानी जनपद मेरठ उम्र 28 वर्ष को मय चोरी के माल 13 कुन्तल सरिया (चार-चार फीट के टुकड़े) सम्बन्धित मु०अ०स० 1020/21 धारा 380/411 भादवि थाना मसूरी मुखबिर की सूचना पर ननका गढी से समय करीब 12.50 बजे गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण- दिनांक 26.11.21 को वादी श्री टुनटुनदास पुत्र जर्मनीदार निवासी ट्रीनिटी चर्च स्कूल गोविन्दपुरम थाना मसूरी गा०बाद ने उपस्थित थाना आकर लिखित तहरीर दी कि दिनांक 23/11/2021 को अज्ञात चोर द्वारा हॉली ट्रीनिटी चर्च स्कूल से सरिया चोरी कर लिया गया है। लिखित तहरीर के आधार पर थाना मसूरी पर मु०अ०स०-1020/2021 धारा 380 भादवि पंजीकृत करते हुए विवेचना उ०नि० श्री अमित कुमार द्वारा सम्पादित की गयी। अभियोग का अनावरण करते हुए दौराने विवेचना अभि०गण 1-आशु व 2- साजिद उपरोक्त को मुखबिर की सूचना पर आज दिनांक 27.11.21 को ननकागढी से मय चोरी किये गये 13 कुन्तल सरिया के गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

- (1) आशु पुत्र भग्गू निवासी बिलवार थाना गुलगंज जिला छतरपुर (मध्य प्रदेश) उम्र 25 वर्ष
- (2) साजिद उर्फ भूरा पुत्र मंजूर निवासी ग्राम टीकरी थाना जानी जनपद मेरठ उम्र 28 वर्ष

बरामदगी

- (1) 13 कुन्तल चोरी का सरिया (करीब चार-चार फीट के 255 टुकड़े)

